तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./673/2006/कोटा रईश मोहम्मद बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.पी. शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी के वारिसान की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.10.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज लक्ष्मण ने तहसीलदार, पीपल्दा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेरदा स्थित आराजी खसरा नम्बर 359, 362, 363, 381, 383, 384 एवं 385 कुल किता 7 कुल रकबा 6.95हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, जिसमें से खसरा नम्बर 359 रकबा 0.17हेक्टयर एवं 385 रकबा 0.16हैक्टयर पर प्रार्थी रईस मोहम्मद द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है, जिसे बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया एवं बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 30–09–2005 से बेदखली का आदेश पारित किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे निर्णय दिनांक 27–01–2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./673/2006/कोटा रईश मोहम्मद बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी ने विवादित आराजी प्रार्थी के पिता को वर्ष 1972 में अन रजिस्टर्ड बैचाननामें के जरिये सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा सम्भलाया था, तभी से विवादित आराजी पर वे काबिज काश्त है। उनका कथन है कि उनके पक्षकार विवादित आराजी पर वर्ष 1972 में खातेदार द्वारा निष्पादित बैचाननामें के आधार पर साधिकार काबिज काश्त होने से बेदखली का प्रस्तुत वाद मियाद बाहर होने से खारिज योग्य था। उनका कथन है कि अप्रार्थी ने पूर्व में भी विवादित आराजी बाबत् बेदखली का वाद प्रस्तुत किया, जो निर्णय दिनांक 26-9-1988 से खारिज हो चुका था, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा पुनः बेदखली बाबत् प्रस्तुत वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि प्रार्थी ने उनके पक्षकार की राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदारी भूमि के दो खसरा नम्बरान पर नाजायज कब्जा किया, जिसे तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./673/2006/कोटा रईश मोहम्मद बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा प्रमाणित होना मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज लक्ष्मण ने तहसीलदार, पीपल्दा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेरदा स्थित आराजी खसरा नम्बर 359, 362, 363, 381, 383, 384 एवं 385 कुल किता 7 कुल रकबा 6.95हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, जिसमें से खसरा नम्बर 359 रकबा 0.17हेक्टयर एवं 385 रकबा 0.16हैक्टयर पर प्रार्थी रईस मोहम्मद द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है, जिसे बेदखल कर कब्जा दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी लक्ष्मण 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज है। जहां तक विवादित आराजी बाबत् बैचाननामा दिनांक 26–09–1992 को निष्पादित किया जाकर कब्जा प्रार्थी को प्रदान किये जाने का प्रश्न है, उक्त बैचाननामा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी अनुसूचित जाति सवर्ग के पक्षकार अप्रार्थी लक्ष्मण के नाम राजस्व अभिलेख में हिस्सा 1/2 दर्ज है, प्रार्थी सवर्ण जाति का पक्षकार होने से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तान्तरित नहीं हो सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./673/2006/कोटा रईश मोहम्मद बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

359 एवं 395 पर प्रार्थी को नाजायज तौर पर काबिज काश्त होना मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किये, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य कोई व्यक्ति विधि विरूद्ध तरीके से अनाधिकृत कब्जा करता है तो संक्षित कार्यवाही द्वारा अतिक्रमी को सुनवाई का अवसर देकर बेदखल किये जाने एवं जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में निगरानी के माध्यम से कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य